न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 19/2012/75 एलआर एक्ट

रामनिवास पुत्र गोधूराम जाति मेघवाल निवासी प्रेवडी तहसील कुन्चामन सिटी जिला नागौर राजस्थान।

–अपीलान्ट

–: बनाम :–

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार हनुमानगढ़।

––रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 04.12.2010 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ जिसके द्वारा अपीलांट के विरूद्ध 50,600/–रू0 वसूली के आदेश जारी किये गये

उपस्थित :–

श्री विनोद कुमार पारीक अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट

निर्णय दिनांक –16.01.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी खातेदारी कृषि भूमि चक 9 एचएमएच के प.न. 155/266 के कि.न. 17, 18 कुल 0.506 है0 यानि 5060 वर्गमीटर को औधोगिक (ईंट भट्टा) के प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार की विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट से 5 रू0 प्रतिवर्गमीटर के हिसाब से राशि जमा करवायी जाकर दिनांक 21.04.2008 को कृषि भूमि का संपरिवर्तन आदेश जारी किये गये। तदोपरान्त अपीलांट द्वारा उक्त कृषि भूमि मे ईंटभट्टा लगाने के उदेश्य से कि.न. 17 मे चिमनी का निर्माण किया गया। निरीक्षक राजस्व लेखा राजस्व मण्डल राज0 द्वारा अपने निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 2008–10 के अनुसार कि.न. 17, 18 मे 21.04.08 को संपरिवर्त आदेश से पूर्व ही किला नं. 17 मे निर्माण किया होना माना जाकर संपरिवर्तन राशि से चार गुणा राशि देय होना मानकर 50,600/–रू0 की राजस्व हानि निकाली तथा वसूली से आदेश जारी किये। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि निरीक्षक राजस्व लेखा राजस्व मण्डल द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन की प्रक्रिया मे अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस नही दिया गया व न ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। उक्त जांच प्रतिवेदन ने दिनांक 10.03.2008 तहसीलदार द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर सम्पूर्ण किला नं0 17 की संपरिवर्तन राशि के चार गुणा 50,600/—रू0 राजस्व हानि मानते हुए वसूल करने के आदेश दिये जबकि तहसीलदार द्वारा उक्त रिपोर्ट मे कि0न0 17 मे मात्र चिमनी को कवर करने वाला ढांचा बताया गया है जो कि सम्पूर्ण 165X165 का नही था व न ही तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट मे इसकी कोई पैमाईश का वर्णन किया गाय है। अपीलांट द्वारा ईंट भट्टा के प्रयोजन हेतु अपनी सम्पूर्ण 2 बीघा कृषि भूमि को संपरिवर्तन करवाया गया है तथा भूमि संपरिवर्तन होने से पूर्व अपीलांट द्वारा न तो कोई निर्माण किया गया था व न ही कोई कार्य शुरू किया गया था केवल मात्र ईंट भट्टा निर्माण मे उपयुक्त की जाने वाली सामग्री को भूमि मे डालने मात्र से अपीलांट पर शास्ति रोपित नही की जा सकती। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें।
4. राजकीय विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि अपील मिथ्या आधारो पर प्रस्तुत की गई है। उक्त प्रकरण मे राज्यहित से सम्बधित है। अपीलांट द्वारा चक 9 एचएमएच के प.न. 155/266 के कि.न. 17, 18 कुल 0.506 है0 यानि 5060 वर्गमीटर को औधोगिक (ईंट भट्टा) के प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवाया गया था। अंकेक्षण दल द्वारा उक्त कि.न. 17 मे कुल रकबा संपरिवर्तन होने से पूर्व ही ईंट भट्टा की चिमनी को कवर करने वाला ढांचा बना हुआ होने के कारण संपरिवर्तन शुल्क की चार गुणा राशि देय होने से कुल 50,600/—रू की हानि होना माना गया जो सही है। अतः अपील अपीलांट निरस्त योग्य होने से निरस्त की जावें।
5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि अपीलांट द्वारा चक 9 एचएमएच के प.न. 155/266 के कि.न. 17, 18 कुल 0.506 है0 यानि 5060 वर्गमीटर को औधोगिक (ईंट भट्टा) के प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवाया गया। उक्त संपरिवर्तन आदेश से पूर्व संपरिवर्तन के संबंध मे तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 10.03.08 मे कि.न. 17 मे चिमनी को कवर करने वाला ढांचा बना होने का अंकन किया गया है। आन्तरिक लेखा परीक्षण द्वारा ऑडिट पेरा मे कि.न. 17 के सम्पूर्ण क्षेत्रफल अर्थात 2530 वर्गमीटर पर शास्ति की राशि देय होने का उल्लेख किया है। उक्त रिपोर्ट के अनुकर्म

मे उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा तहसीलदार हनुमानगढ़ से किला नं. 17 मे भट्टा की चिमनी को कवर करने हेतु उपयोग मे लिये गये क्षेत्रफल के संबंध मे रिपोर्ट चाहे जाने पर तहसीलदार हनुमानगढ़ द्वारा अपने पत्र दिनांक 13.08.2010 के द्वारा कि.न. 17 मे भट्टे की चिमनी को कवर करने वाला ढांचा 31X165 फुट पर बना होने का अंकन किया गया है। परन्तु अंकेक्षण दल द्वारा उक्त कि.न. 17 मे कुल रकबा संपरिवर्तन होने से पूर्व ही ईंट भट्टा की चिमनी को कवर करने वाला ढांचा बना हुआ होने के कारण कि.न. 17 की सम्पूर्ण भूमि पर संपरिवर्तन शुल्क की चार गुणा राशि देय होने के कारण कुल 50,600/—रू राशि कम वसूल करने के कारण 50,600/—रू0 की राजस्व हानि होना माना गया। ऐसी स्थिति मे अपीलांट अपील मे वर्णित तथ्यों को साबित करने मे सफल रहने के कारण अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाकर तहसीलदार की रिपोर्ट मे वर्णितानुसार संपरिवर्तन से पूर्व निर्मित क्षेत्रफल पर ही राजस्थान भू—राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र मे कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 13 (1) मे वर्णित प्रावधानो के अनुसार शास्ति की राशि देय होने के कारण तद्नुसार कार्यवाही की जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जाना आपेक्षित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य होने के कारण अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.12.2010 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे संपरविर्तन कार्यवाही के दौरान तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 10.03.2008 एवं ऑडिट पैरा के पश्चात दिनांक 13.08.2010 को प्रस्तुत रिपोर्ट मे वर्णितानुसार कि.न. 17 मे संपरिवर्तन होने से पूर्व ईंट भट्टा की चिमनी को कवर करने वाला निर्मित ढांचा के क्षेत्रफल 31X165 फुट पर ही राजस्थान भू—राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र मे कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 13 (1) मे वर्णित प्रावधानो के अनुसार शास्ति की राशि वसूली की कार्यवाही करते हुए प्रकरण का निस्तारण करें। उभक्ष पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.02.2018 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ